26/8/25

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सफली हेतु तलबाना पेश करने के कई अवसर दिए जा चुके हैं। परन्तु आदिनांक तक तलबाना पेश नहीं किया गया है। इससे यह साबित होता है कि [illegible] कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः 09 R5 CPC के तहत [illegible] [illegible] किया जाता है। पत्रावली कैफियत शुमार [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:34:50 IST
Reason: SelfAttested

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)